

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0डी0-91/750- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (प) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव मनेसर में राजकीय उच्च विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव मनेसर में राजकीय उच्च विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूचीकी ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 160/90 दिनांक 5 मई, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर और पूर्व: बिन्दु 'ए' सेलकर जो गांव मनेसर की आयत संख्या 2 का उत्तरी कोना है। उसकेबाद दक्षिण पूर्व की ओर गांव मनेसर की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ, गांव मनेसर की आयत संख्या 51 के उत्तरी पूर्वी कोने तक, उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 51,69 की पूर्वी सीमा संख्या 69 की दक्षिणी सीमा, आयत संख्या 77, 78 की पूर्वी सीमा आयत संख्या 96 की दक्षिणी सीमा, आयत संख्या 103की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा और आयत संख्या 125 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जोगांव मनेसर की आयत संख्या 125 का दक्षिण पूर्वी कोना हैं।

दक्षिण: उसके बाद पश्चिम की आयत संख्या 125, 124 तथा 123 की दक्षिणी सीमा आयत संख्या 123 की पश्चिमी सीमा, आयत संख्या 112, 113, 114 की दक्षिणी सीमा, आयत संख्या 114 की पश्चिम सीमा तथा गांव मनेसर की आयत संख्या 88 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो आयत संख्या 88 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है।

पश्चिम: उसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 88 की पश्चिमी सीमा और गांव मनेसर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

319

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 28, 1991 (MAGHA 8, 1912 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/750- In exercise of the powers conferred by sub-section (I)(b) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Government High School Manesar, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

ANNEXURE

Schedule of boundaries of controlled area around Government High School at village Manesar, District Gurgaon to be read with Drawing No. STP(G) 160/90, dated 5th May, 1990.

SCHEDULE

North & East : Starting from 'A' which is the Northern corner of Rect. Nos 2 of village Manesar. Thence towards south-east along the Eastern revenue boundary of village Manesar upto the north-eastern corner of rectangle No. 51 of village Manesar, further south along the Eastern boundary of Rect. No. 51, 69 southern boundary of Rect. No. 69 Eastern boundary of Rect. No. 77, 96 southern boundary of Rect. No. 96, eastern & southern boundary of Rect. No. 108 and eastern boundary of Rect. No. 125 upto the point 'B' which is the south eastern corner of Rect. No. 125 of village Manesar

South: Thence towards west along the southern boundary of Rect. Nos. 125, 124 & 123 western boundary of Rect. No. 123, southern boundary of Rect. No. 112, 113, 114 western boundary of Rect. No. 114 and southern boundary of Rect. No. 88 of village Manesar upto point 'C' which is the south western corner of Rect. No. 88.

West: Thence towards North along western boundary of Rect. No. 88 and Western revenue boundary of village Manesar upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL,
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.